



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253175  
CG-DL-E-18032024-253175

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1391]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945

No. 1391]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
(मत्स्यपालन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1457(अ).— केंद्रीय सरकार तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ख) के साथ पठित, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में निम्नलिखित दिशानिर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री लिटोपेनियस वननामेई के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के दिशानिर्देश कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री लिटोपेनियस वननामेई बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश

भाग I

हैचरी के संचालन के लिए सुरक्षा उपाय और विनियम

1. एल. वननामेई के प्रजनन हेतु आवेदन के मानदंड - (1) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक जैव सुरक्षा सुविधाओं के साथ बीज उत्पादन में लगी या इस कार्य में संलग्न होने का आशय रखने वाली हैचरियां तटीय जलकृषि प्राधिकरण

अधिनियम, 2005 (2005 का 24) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एल. वननामेई के स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री ब्रूडस्टॉक को आयात करने की अनुमति के लिए या एल. वननामेई के स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री किशोर (10 ग्राम आकार तक) को पालन पोषण कर वयस्क ब्रूडस्टॉक तक बड़ा करने के लिए और एल. वननामेई के पोस्ट लार्वा के उत्पादन और बिक्री करने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र होंगी।

(2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैचरी के पंजीकरण के लिए हैचरी संचालक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए और 10,000/- (दस हजार रुपये) के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हुए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

निरीक्षण उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित एक टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के उचित निरीक्षण के पश्चात एल. वननामेई के पालन के लिए हैचरी को प्राधिकरण द्वारा की मंजूरी दी जाएगी।

(4) हैचरी में विभिन्न उत्पादन सुविधाओं के बीच वास्तविक रूप से फासले अथवा एकांतता या फिर फासला रखने के लिए अवरोध के निर्माण एवं प्रक्रिया और उत्पाद प्रवाह नियंत्रण के कार्यान्वयन के माध्यम से जैव सुरक्षा नियंत्रण किया जाएगा।

(5) हैचरी सुविधा में परिसर की परिधि के चारों ओर एक दीवार या बाड़ होगी, जिसमें जानवरों और अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचाई होगी ताकि इस मार्ग से रोगजनक के प्रवेश के जोखिम को कम करने में मदद मिल सके, साथ ही समग्र सुरक्षा में सुधार हो सके।

**2. स्वच्छता आवश्यकताएँ -** (1) हैचरी में प्रवेश केवल इस क्षेत्र में काम करने के लिए नियुक्त कर्मियों तक ही सीमित रहेगा और सुविधा में प्रवेश करने वाले कर्मियों का रिकॉर्ड सुरक्षा कर्मियों द्वारा बनाए रखा जाएगा।

(2) कर्मचारियों सहित किसी भी व्यक्ति का प्रवेश अनिवार्य रूप से शॉवर और चेंजिंग रूम के माध्यम से होगा ताकि वे सुविधा में प्रवेश करने से पहले स्नान कर सकें और काम करने वाले कपड़े और जूते बदल सकें और कार्य शिफ्ट के अंत में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(3) वाहन के टायरों (गेट पर टायर धोना), पैरों (50 पीपीएम एक्टिव इंग्रिडेंट हाइपोक्लोराइट घोल वाले फुटबाथ), और हाथों [आयोडीन-पीवीपी युक्त बोटलें (20 पीपीएम और/या 70% अल्कोहल)] के डिसिन्फेक्शन के लिए प्रावधान किया जाएगा और डिसिन्फेक्शन का उपयोग इकाई में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर किया जाएगा।

**3. पानी का प्रवेश -** (1) हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई में अन्य सभी जल आपूर्ति प्रणालियों से अलग स्वतंत्र जल उपचार सुविधा होगी और पानी के उपयोग को कम करने और जैव सुरक्षा में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई के लिए अलग रीसर्कुलेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

(2) हैचरी के जलाशय या सेटलिंग टैंक में सबसे पहले भरे जाने वाले पानी को सब-सैंड वेल्ल पॉइंट्स, सैंड फिल्टर्स (ग्रेविटी या प्रेशर), या मेष बैग फिल्टर के माध्यम से प्रारंभिक फिल्टरिंग द्वारा स्रोत पानी में मौजूद वैक्टर और रोगजनकों के प्रवेश को रोकने के लिए फिल्टर और उपचारित किया जाएगा।

(3) क्लोरीनीकरण या ओजोनेशन या ऐसे अन्य उपयुक्त कीटाणुनाशकों द्वारा प्राथमिक डिसइन्फेक्शन के बाद, और निपटान के बाद, पानी को फिर से एक महीन फिल्टर के साथ फिल्टर किया जाएगा और फिर पराबैंगनी प्रकाश (अल्ट्रावायोलेट लाइट) या ओजोन का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा।

(4) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टर का उपयोग, एथिलीन डायमाइन टेटरा एसिटिक एसिड और तापमान और लवणता विनियमन शामिल हो सकता है।

**4. जल उपचार और अपशिष्ट जल का निर्वहन -** (1) हैचरी से डिस्चार्ज किए गए पानी को अस्थायी रूप से रोका जाएगा और डिस्चार्ज से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (>20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन कम से कम साठ मिनट के लिए) या अन्य प्रभावी कीटाणुनाशक से उपचारित किया जाएगा।

(2) सुविधा में उपयोग किए जाने वाले समुद्री जल को एक भंडारण टैंक में पहुंचाया जाएगा जहां इसे सबसे पहले हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (कम से कम 30 मिनट के लिए 20 पीपीएम सक्रिय घटक) और तत्पश्चात सोडियम थायोसल्फेट (प्रत्येक पीपीएम क्लोरीन रेसीड्यू के लिए 1 पीपीएम) और मजबूत एरेशन के साथ उपचारित किया जाएगा।

(3) कोई भी अपशिष्ट जल क्लोरीनेशन और डीक्लोरीनेशन के बिना हैचरी से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा ताकि लार्वा को प्राकृतिक जल में जाने से रोका जा सके और इस प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रवाह उपचार प्रणाली (एफप्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम) को डिजाइन किया जाएगा।

**5. उपकरणों का डिसइन्फेक्शन -** (1) प्रयुक्त कंटेनरों और होज़ों को आगे उपयोग करने से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (20 पीपीएम) से धोया और कीटाणुरहित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ब्रूडस्टॉक के होल्लिंग टैंक में-

(i) उपकरणों का एक अलग सेट जिसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और टैंकों के पास रखा जाएगा; और

(ii) प्रत्येक दिन के उपयोग के अंत में सभी उपकरणों को कीटाणुरहित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

**6. संगरोध -** संगरोध प्रक्रिया, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई तारीख 15 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या क. आ. 2482 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

**7. हैचरी में ब्रूडस्टॉक -** (1) बीज उत्पादन के लिए हैचरी में केवल संगरोध के माध्यम से उपलब्ध स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री ब्रूडस्टॉक का उपयोग किया जाएगा।

(2) तालाब में पाले गए ब्रूडस्टॉक का उपयोग सख्त वर्जित है।

एल. वन्नामेई बीज उत्पादन में शामिल हैचरियां हैचरी परिसर के भीतर किसी अन्य प्रजाति का उपयोग नहीं करेंगी।

**8. बीज उत्पादन और बिक्री -** (1) नौप्ली को केवल उन हैचरियों को बेचा जाएगा जिन्हें उचित जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री एल. वन्नामेई के बीज पालन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है।

(2) बिक्री के लिए पीएल चरण तक नौपली का पालन करने वाली हैचरियां प्राप्त नौपली की संख्या और उत्पादित और बेची गई पीएल का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी और फॉर्म-बी - I में अपनी त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्राधिकरण को नियमित आधार पर प्रस्तुत करेंगी, ऐसा न करने पर भविष्य में नौपली प्राप्त करने के लिए हैचरियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

(3) पोस्ट-लार्वा केवल उन्हीं किसानों को बेचा जाएगा जिन्होंने विशेष रूप से एल. वन्नामेई की खेती के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराया है।

(4) प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति हैचरी संचालक द्वारा निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।

(5) बीज उत्पादन के साथ-साथ बिक्री का विस्तृत रिकॉर्ड क्रेता या किसान के नाम और पते सहित रखा जाएगा।

**9. रोग रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखरखाव-** (1) हैचरी में किसी भी बीमारी के फैलने की सूचना तुरंत प्राधिकरण को दी जाएगी।

(2) हैचरियां आयातित ब्रूडस्टॉक का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी, जिसमें स्रोत, आयातित मात्रा, मृत्यु दर की संख्या, उत्पादित अंडे, उत्पादित नौपली, उत्पादित पोस्ट-लार्वा, बेचा गया पोस्ट-लार्वा, किसान का नाम और पता जिसको बेचा गया, पंजीकरण और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनुमति प्रमाण पत्र की तिथि और संख्या शामिल होगी और ये ब्योरे इन दिशानिर्देशों के फॉर्म- I में प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

**10. निरीक्षण** - प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति समय-समय पर दौरा करेगा और ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन और बिक्री की स्थिति की जांच करेगा।

**11. बैंक गारंटी** - इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित हैचरी को निगरानी फीस के तौर पर पचास हजार रुपये का भुगतान करना होगा और तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण नियम, 2023 के अनुसरण में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण के पक्ष में, इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी और उल्लंघन करने पर बैंक गारंटी इनवोक की जाएगी।

## भाग II

### फार्मों की मंजूरी और संचालन के लिए मानदंड और विनियम

फार्मों के लिए पात्रता मानदंड.- (1) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जल कृषि किसान, एल. वन्नामेई के पालन की अनुमति के लिए एक अलग आवेदन प्रस्तुत करेंगे :

(2) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल फार्म का निरीक्षण करेगा और एल. वन्नामेई पालन के लिए सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में दल की सिफारिश के आधार पर प्राधिकरण के सचिव द्वारा आवेदनों को एल. वन्नामेई की खेती के लिए अनुमति जारी करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने हेतु संसाधित किया जाएगा।

(3) बाड़, जलाशय, पक्षियों को भगाने, प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण आदि सहित पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय फार्म स्थापित करेंगे, और उन कर्मियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो जैव सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में प्रशिक्षित या अनुभवी हैं।

(4) फार्मों में उनके आकार की परवाह किए बिना एक प्रवाह उपचार प्रणाली होगी जो फसल के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल को संभालने में सक्षम हो।

(5) संचयन प्रवाह उपचार प्रणाली (एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम) के आकार के आधार पर हार्वेस्टिंग अनुक्रमिक होगा और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी।

**2. जल निकासी प्रोटोकॉल** - (1) बीमारी के किसी भी प्रकोप के मामले में, डिस्ट्रेस हार्वेस्टिंग केवल जाल के माध्यम से किया जा सकता है और ड्रेनेज में जल की निकासी से पहले पानी को क्लोरीनयुक्त और डीक्लोरीनीकृत किया जाएगा।

(2) अपशिष्ट जल को कम से कम दो दिनों की अवधि के लिए प्रवाह उपचार प्रणाली (एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम) में रखा जाएगा।

(3) जो फार्म, फार्मिंग के लिए ज़ीरो वॉटर एक्सचेंज सिस्टम का पालन करते हैं, वे भी एल. वन्नामेई की खेती कर सकते हैं।

**3. जैवसुरक्षा संबंधी** - (1) यदि पड़ोसी फार्म देशी प्रजातियों की खेती कर रहे हैं, जो गैर-स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री हैं, तो स्पेसिफिक पैथोजेन फ्री एल. वन्नामेई की खेती की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत में पेनेअस मोनोडोन में रिपोर्ट किए गए सभी वायरल रोगजनकों से एल. वन्नामेई को जोखिम है।

(2) एल. वन्नामेई के पालन के लिए अनुमोदित उसी फार्म में शेलफिश और फ्रिनफिश प्रजातियों की खेती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के पालन में शिफ्ट करने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय समय पर इस प्रयोजनार्थ जारी किए गए मानदंडों के अनुसार तालाब की तैयारी के दौरान पर्याप्त ड्राइ आउट अवधि बनाए रखी जाएगी।

4. एल. वन्यामेई पालन के लिए मानदंड - (1) केवल एल. वन्यामेई ब्रूडस्टॉक के आयात या एल. वन्यामेई बीज उत्पादन के लिए प्राधिकृत हैचरियों से ही परीक्षित और प्रमाणित बीज खरीदा जाएगा।

(2) पारंपरिक मिट्टी तालाब प्रणालियों के लिए स्टॉकिंग डेनसिटी 60 सं / एम<sup>2</sup> से अधिक नहीं होगा।

(3) अपशिष्ट जल मानकों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य आवश्यकता होगी और प्रत्येक मामले में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल तटीय जल कृषि प्राधिकरण विनियम, 2008 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी करेगा।

5. फार्मों में रिकॉर्ड का रखरखाव - (1) किसानों को उस हैचरी के नाम और पते का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा जहां से उन्होंने बीज खरीदा है, खरीदी गई मात्रा, हैचरी के वैध पंजीकरण की संख्या और तारीख का भी रिकॉर्ड रखना होगा।

(2) किसान उत्पादित, बेची गई झींगा की मात्रा और प्रोसेसर या प्रतिनिधि या एजेंट का नाम और पता, जिसे बेचा गया, रिकॉर्ड करेंगे और यह रिकॉर्ड निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. अनधिकृत स्टॉक का विनाश - यदि प्राधिकरण की निरीक्षण टीम द्वारा फार्मों या हैचरी के निरीक्षण के दौरान एल. वन्यामेई का कोई अनधिकृत बीज उत्पादन या पालन देखा जाता है, तो निरीक्षण टीम को यदि उचित लगता है तो वह स्टॉक को जब्त कर सकती है, उसका निपटान कर सकती है या उसे नष्ट कर सकती है।

#### फॉर्म बी-1

[भाग- 1, 8(2) और 9(2) देखें]

#### हैचरियों से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रारूप

रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी होगी:

1. नाम और पता
2. पंजीकरण प्रमाणपत्र और आयात की अनुमति की तारीख और संख्या
3. आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर और मादा
4. परिवहन मृत्यु दर
5. संगरोध मृत्यु दर
6. स्पॉनिंग की कुल संख्या
7. उत्पादित अंडों की कुल संख्या
8. उत्पादित नौपली की कुल संख्या
9. उत्पादित पोस्ट-लार्वा की कुल संख्या
10. सामान्य जलीय स्वास्थ्य मानीटरिंग और किसी असामान्य मृत्यु दर पर रिपोर्ट
11. किसानों को बेचे गए पोस्ट-लार्वा की कुल संख्या

12. जिन किसानों को बेचा गया उनका विवरण (नाम, पता, पंजीकरण संख्या की जानकारी शामिल होगी) और तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा जारी एल. वन्नामेई के पालन के लिए अनुमति पत्र की प्रति।

स्थान: हस्ताक्षर  
तारीख: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ़ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

(Department of Fisheries)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2024

**S.O. 1457(E).**—In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (b) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby notifies the following guidelines, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These guidelines may be called the Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for seed production and culture of Specific Pathogen Free *Litopenaeus vannamei*.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**Guidelines for Regulating Hatcheries and Farms for Seed Production and culture of Specific Pathogen Free *Litopenaeus vannamei***

**PART I**

**Safeguards and regulations for operation of hatcheries**

**1. Criteria for application to breed *L. vannamei*.** - (1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in seed production having the required biosecurity facilities as specified by the Authority shall be eligible to apply for registration under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) and the rules framed thereunder and for permission to import specific pathogen free broodstock of *L. vannamei* or specific pathogen free juveniles of *L. vannamei* (up to 10 g size) for rearing to adult broodstock and to produce and sell post larvae of *L. vannamei*.

(2) The hatchery operator shall submit application in prescribed format to the Authority duly enclosing required documents and payment of registration fee of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) for registration of hatchery in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the Coastal Aquaculture Authority Rule, 2024.

(3) Approval of the hatchery for rearing *L. vannamei* shall be given by the Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted by the Authority for this purpose.

(4) The hatchery facilities shall have strict biosecurity control through physical separation or isolation of the different production facilities or isolation through the construction of barriers and implementation of process and product flow controls.

(5) The hatchery facility shall have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorised persons to help reduce the risk of pathogen introduction by this route, as well as improve overall security.

**2. Sanitary requirement.**- (1) Entrance to the hatchery shall be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility be maintained by the security personnel.

(2) The entry of any person including staff shall be compulsorily through shower and changing room to enable them to take shower and changing into working clothes and boots before entering into facility and the same procedure shall be followed at the end of the working shift.

(3) A provision shall be made for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate), feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient), and hands [bottles containing iodine-PVP (20 ppm and / or 70% alcohol)] to be used upon entering and exiting the unit.

**3. Water intake.** - (1) Each functional unit of the hatchery shall have independent water treatment facility isolated from all other water supply systems and separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve biosecurity, especially in high-risk areas.

(2) Water for the hatchery shall be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in the source water by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters, into the first reservoir or settling tank.

(3) After primary disinfection by chlorination or ozonation or such other appropriate disinfectants, and after settlement, the water shall be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet light or ozone.

(4) The water supply system may include use of activated carbon filters, the addition of ethylene diamine tetra acetic acid and temperature and salinity regulation.

**4. Water treatment and discharge of wastewater.**- (1) The discharged water from the hatchery shall be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than sixty minutes) or other effective disinfectant prior to discharge.

(2) The seawater to be used in the facility shall be delivered into a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than thirty minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.

(3) No wastewater shall be released out of the hatchery without chlorination and dechlorination, so as to prevent the escape of the larvae into the natural waters and Effluent Treatment System shall be designed to include this provision.

**5. Disinfection of implements.**- (1) Used containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before further use.

(2) Each broodstock holding tank shall have,-

- (i) a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks; and
- (ii) facilities for disinfection of all the implements at the end of each day's use.

**6. Quarantine.** - The quarantine procedure shall be as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* notification No. S.O. 2482(E), dated the 15th October, 2008, issued under sub-section (1) of section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898).

**7. Broodstock in hatchery.** - (1) Only specific pathogen free broodstock cleared through the quarantine shall be used in the hatchery for seed production.

(2) Use of pond-reared broodstock is strictly prohibited.

(3) Hatcheries involved in *L. vannamei* seed production shall not use any other species within the hatchery premises.

**8. Seed production and sale.** - (1) Nauplii shall be sold only to the hatcheries permitted by the Authority to rear the seed of specific pathogen free *L. vannamei* with due biosecurity protocols.

(2) Hatcheries rearing nauplii to the post-larvae stage for sale shall maintain record of the number of nauplii received and the post-larvae produced and sold and submit in their quarterly compliance reports in Form- B-I the Authority on a regular basis, failing which the hatcheries shall be derecognised to receive nauplii in future.

(3) Post-larvae shall be sold only to the farmers who have registered with the Authority specifically for the culture of *L. vannamei*.

(4) A copy of the certificate of registration issued by the Authority shall be retained by the hatchery operator for inspection.

(5) The detailed record of the seed production as well as sale including the name and address of the buyer or farmer shall be maintained.

**9. Disease reporting and record maintenance.** - (1) Any disease outbreak in the hatchery shall be reported immediately to the Authority.

(2) The hatcheries shall maintain a record of the imported broodstock with details of source, quantity imported, the number of mortality, eggs produced, nauplii produced, post-larvae produced, post-larvae sold, name and address of the farmer to whom sold, date and number of the registration and permission certificate issued by the Authority and report these in their quarterly compliance report to be submitted to the Authority in Form-B-I of these Guidelines.

**10. Inspection.** - A person authorised by the Authority shall periodically visit and check the status of the broodstock, the seed production and sale.

**11. Bank Guarantee.** - The approved hatcheries shall pay rupees fifty thousand towards monitoring fee and deposit a bank guarantee for five lakh rupees in favour of the Coastal Aquaculture Authority in accordance with the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, to ensure compliance with these Guidelines and in the event of any violation, the bank guarantee shall be invoked.

## PART II

### Norms and Regulations for Approval and Operation of Farms

**1. Eligibility criteria for farms.**- (1) Aquaculture farmers registered with the Authority, shall submit a separate application for permission for farming *L. vannamei*:

(2) The inspection team authorised by the Authority shall inspect the farm and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of *L. vannamei*, applications shall be processed by the Secretary of the Authority, for consideration of the Authority for issuing permission to farms for farming of *L. vannamei*.

(3) Farms shall establish adequate biosecurity measures including fencing, reservoirs, bird-scare, separate implements for each of the ponds etc., and be managed by personnel who are trained or experienced in management of biosecurity measures.

(4) Farms irrespective of their size shall have an Effluent Treatment System which is able to handle the wastewater let off during harvest.

(5) Harvesting shall be sequential depending on the size of the Effluent Treatment System and the quality of the wastewater shall conform to the standards prescribed under the Guidelines.

**2. Water discharge protocols.**-(1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting may only be done through netting and the water shall be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Wastewater shall be retained in the Effluent Treatment System for a minimum period of two days.

(3) Farms which follow Zero Water Exchange system of farming may also take up *L. vannamei* farming.

**3. Biosecurity considerations.**-(1) Culture of specific pathogen free *L. vannamei* shall not be permitted if the neighbouring farms are culturing native species, which are non-specific pathogen free, since *L. vannamei* is susceptible for all the viral pathogens reported in *Penaeus monodon* in India.

(2) Farms approved for *L. vannamei* culture shall not be permitted for simultaneous farming of shellfish and finfish species in the same farm.

(3) For shifting culture from one species to another, adequate dry out period shall be maintained during pond preparation in accordance with the norms issued by the Authority for this purpose from time to time.

**4. Norms for culture of *L. vannamei*.**-(1) Tested and certified seed shall be procured only from hatcheries authorised for import of the *L. vannamei* broodstock or production of *L. vannamei* seed.

(2) Stocking densities shall not exceed 60 no. / m<sup>2</sup> for conventional earthen pond systems

(3) Strict compliance with the wastewater standards shall be mandatory requirement and inspection team authorised by the Authority in each case shall monitor the quality of wastewater as per the procedure laid down in the Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008.



**5. Record maintenance at farms.**-(1) The farmers shall maintain a detailed record of the name and address of the hatchery from where they procured the seed, including quantity procured, number and date of the valid registration of the hatchery.

(2) The farmers shall record the quantity of shrimp produced, sold, and the name and address of the processor or representative or agent to whom sold and the record shall be made available to the inspection team authorised by the Authority, during inspection.

**6. Destruction of unauthorised stock.**-If any unauthorised seed production or culture of *L. vannamei* is noticed during the inspection of farms or hatcheries by the inspection team of the Authority, the inspection team may confiscate, dispose of or destroy the stock, as it thinks fit.

### Form B-I

[See Part-I, 8 (2) and 9(2)]

#### Format for Quarterly Compliance Report from Hatcheries

The report shall contain the following information:

1. Name and Address
2. Date and number of certificate of registration and permission to import
3. Number of broodstock imported, males and females
4. Transport mortality
5. Quarantine mortality
6. Total number of spawning's
7. Total number of eggs produced
8. Total number of nauplii produced
9. Total number of post-larvae produced
10. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality
11. Total number of post-larvae sold to the farmers
12. Details of the farmers to whom sold (shall include information on the name, address, registration number) and copy of the permission letter for culturing *L. vannamei* issued by Coastal Aquaculture Authority.

Place:

Signature

Date:

Name of the authorised signatory

[F. No. J-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.